



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.eko-mefc@nic.in

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफ.सी./697

दिनांक: 23.11.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/121267/2021

विषय: जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत मदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी० 0.00 से 40.150 तक के मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में किमी० 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293 हे० आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक—पी-328/81-2-2022-800(348)/2022, लखनऊ, दिनांक—28.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके—

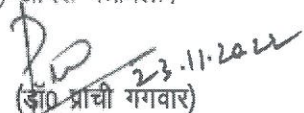
1. Approval of the Standing Committee of National Board for the Wildlife(NBWL) is required.
2. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted. An undertaking needs to be submitted by User Agency that no muck shall be disposed off in Forest land.
3. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
4. The patches proposed for CA need to be compact (at least 5 ha.) and should be contiguous to forest land.
5. As per the GIS DSS demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the forest block in .kml file has been demarcated as Non Forest Land. This needs rectification.
6. As per the proposal CA land has been proposed in Non Forest Land. But according the GIS DSS out of six patches four patches (Khasra no. 718 Ga, 719 ka, 768 Ga, 541 Ka) of the proposed CA land polygon partially fall under the forest block. This needs rectification.
7. Geo referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्राची गगवार)
उप वन प्रहरी निरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 1800 / 11-सी-FP/UP/Road/121267/2021, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 24, 2022

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस० खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।